Nehru School Management Journal (NSMJ)
Volume No: 12, Issue No: 1, Year: 2025
PP: 36-43
ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

मधुबनी के ग्रामीण स्रोत क्षेत्रों से मौसमी पलायन और दलित बाल श्रम के संदर्भ में परिवार रणनीतियाँ और गैर सरकारी हस्तक्षेप

संजय कुमार झा
पूर्व शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

सारांश

मधुबनी जिला उत्तर बिहार के उन क्षेत्रों में आता है जहाँ मौसमी/चक्राकार पलायन आजीविका का सामान्य तत्व बन चुका है। पलायन परिवार को नकद आय, ऋण-चुकौती और उपभोग-सुरक्षा देता है, पर यह बच्चों के जीवन-क्रम पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इस प्रभाव का एक प्रमुख रूप दलित परिवारों में बाल श्रम का उभरना/टिकना है, कभी स्रोत-गाँव में घरेलू/कृषि-सहायक काम के रूप में, कभी गंतव्य-स्थलों पर असंगठित श्रम में "साथ ले जाए गए" बच्चों के रूप में, और कभी स्कूल-अनुपस्थिति के कारण शिक्षा-विच्छेद के रूप में। यह शोध-पत्र तर्क देता है कि मधुबनी में दलित बाल श्रम को केवल गरीबी का परिणाम मानना अपर्याप्त है; यह परिवार-स्तरीय जोखिम-प्रबंधन रणनीतियों, प्रवासन-चक्र की समय-सारिणी, स्थानीय श्रम-विभाजन, सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच, और गैर-सरकारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता, इन सबके संयुक्त प्रभाव से निर्मित होता है। द्वितीयक स्रोतों के आधार पर अध्ययन (i) पलायन-प्रेरक कारकों और परिवार रणनीतियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करता है, (ii) बाल श्रम-जोखिम की संकेतक-आधारित तस्वीर प्रस्तुत करता है, और (iii) गैर-सरकारी संस्थाओं के हस्तक्षेपों की भूमिका, पहचान, शिकायत-समर्थन, बचाव-समन्वय, शिक्षा-पुनर्स्थापन, सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग और अनुवर्तन, को कार्यक्रमात्मक रूप में स्पष्ट करता है।

कुंजी शब्द: मौसमी पलायन, चक्राकार पलायन, दलित बाल श्रम, मधुबनी, परिवार रणनीतियाँ, गैर सरकारी हस्तक्षेप, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा-निरंतरता

1. परिचय

भारत में बाल श्रम और आंतरिक पलायन की बहसें अक्सर अलग-अलग चली हैं, जबकि जमीनी स्तर पर दोनों एक ही जीवन-रणनीति के भीतर जुड़ते हैं। वैश्विक स्तर पर बाल श्रम अभी भी व्यापक है; हालिया संयुक्त आकलन बताता है कि 2024 में लगभग 138 मिलियन बच्चे बाल श्रम में थे और लगभग 54 मिलियन खतरनाक कार्यों में लगे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा-व्यवस्था में थोड़ी भी कमजोरी बच्चों को काम की ओर धकेल सकती है। [1], [2] भारत के भीतर बिहार लंबे समय से श्रम-पलायन का प्रमुख स्रोत रहा है और "चक्राकार" या "मौसमी" पलायन जैसी गतियाँ आधिकारिक आँकड़ों में अक्सर कम दर्ज होती हैं। [3]

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

मधुबनी के ग्रामीण स्रोत क्षेत्रों में परिवार की जीविका कई बार कृषि-आधारित मौसमी आय, असंगठित मजदूरी और बाहर से आने वाली रेमिटेंस के मिश्रण से बनती है। गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार और स्थानीय बहिष्करण-गतिशीलताओं पर मधुबनी-केंद्रित अध्ययन यह रेखांकित करता है कि अल्पकालिक मौसमी पलायन निरंतर बना रहता है और रेमिटेंस स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। [4] इस संदर्भ में दलित परिवारों की स्थिति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि भूमि-हीनता, अनौपचारिक काम, सामाजिक दूरी और कम "संस्थागत पहुँच" परिवार के विकल्प-समुच्चय को सीमित कर देती है।

बाल श्रम का जोखिम यहाँ दो तरह से उभरता है। पहला, जब वयस्क सदस्य पलायन पर जाते हैं तो स्रोत-गाँव में घरेलू और देखभाल-कार्य का बोझ बच्चों पर बढ़ता है; दूसरा, जब परिवार साथ चलता है या बच्चों को बाद में बुलाया जाता है, तो गंतव्य-स्थल पर असंगठित श्रम, घरेलू सेवा या छोटे-मोटे कामों में बच्चों की भागीदारी बढ़ सकती है। घरेलू कामकाज और घरेलू सेवा को बाल श्रम-जोखिम क्षेत्र मानते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ स्पष्ट करती हैं कि काम की प्रकृति, आयु-मानक और समय-भार निर्णायक हैं। [5] इसी तरह घरेलू कार्य-सेवा के लिए समय-सीमा आधारित संकेतक (जैसे 5–14 आयु-वर्ग में सप्ताह में 21 घंटे या अधिक घरेलू काम) जोखिम-पहचान का व्यावहारिक आधार देते हैं। [6]

इस अध्ययन का उद्देश्य मधुबनी के संदर्भ में यह समझना है कि मौसमी पलायन के साथ दलित परिवार बच्चों की भूमिका को कैसे पुनर्संयोजित करते हैं, बाल श्रम किन रास्तों से "सामाजिक रूप से सामान्य" बनता है, और गैर-सरकारी संस्थाएँ किन तंत्रों के माध्यम से इस चक्र को तोड़ने में प्रभावी हो सकती हैं।

2. अध्ययन-परिप्रेक्ष्य: मधुबनी, पलायन-चक्र और बाल श्रम का सामाजिक भूगोल

बिहार में बाल श्रम के जिला-वार संकेतों में मधुबनी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। राज्य-स्तरीय बाल-अधिकार कार्ययोजना में जनगणना 2011 आधारित 5–14 आयु-वर्ग के बाल-श्रमियों की जिला-वार संख्या दी गई है, जहाँ मधुबनी का आंकड़ा उल्लेखनीय है। [7] यह संकेत बताता है कि बाल श्रम-जोखिम "व्यापक" है, हालांकि घरेलू श्रम की अदृश्यता के कारण वास्तविक जोखिम इससे अधिक भी हो सकता है।

पलायन-गतियों को समझने में जनगणना का प्रवासन-संबंधी ढांचा एक औपचारिक संदर्भ देता है, जिसमें स्थान-परिवर्तन, अवधि और कारणों के आधार पर तालिकाएँ उपलब्ध हैं। [8] पर चक्राकार पलायन की प्रकृति ऐसी है कि परिवार एक ही वर्ष में कई बार स्रोत-गाँव और गंतव्य-स्थल के बीच आता-जाता है, जिससे यह गति अक्सर कम दर्ज होती है। ग्रामीण बिहार पर आधारित शोध इसे "अल्प-आय सुरक्षा" और "अनिश्चितता" के प्रति परिवार-स्तरीय प्रतिक्रिया के रूप में दिखाता है, जहाँ गंतव्य-स्थलों पर काम और निवास दोनों असुरक्षित/अस्थिर हो सकते हैं। [3]

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

3. साहित्य समीक्षा

बिहार में पलायन और रेमिटेंस पर क्लासिक नीति-अध्ययन बताता है कि परिवार पलायन का उपयोग जोखिम-विविधीकरण, उपभोग-समतलीकरण और संकट-समय नकद जरूरतों की पूर्ति के लिए करते हैं। [9] ग्रामीण बिहार के दीर्घकालिक अध्ययन भी दिखाते हैं कि पलायन बढ़ता है और आय-स्रोतों की संरचना बदलती है, जहाँ रेमिटेंस कई परिवारों के लिए निर्णायक बनती है। [10]

चक्राकार पलायन की स्थितियों में बच्चों की शिक्षा और कल्याण पर प्रभाव के संदर्भ में हालिया शोध यह इंगित करता है कि पलायन-प्रकार (परिवार के साथ जाना, केवल पुरुष सदस्य का जाना, या गैर-पलायन) बच्चों के स्वास्थ्य/विकास जैसे परिणामों से भी जुड़ सकता है, जिसका निहितार्थ यह है कि बच्चों के जीवन-क्रम पर पलायन का प्रभाव बहु-आयामी है। [11]

बाल श्रम और स्कूलिंग के संबंध पर बिहार-केंद्रित गुणात्मक अध्ययन (कमजोर और बहिष्कृत समुदाय पर) बताता है कि बच्चों और देखभालकर्ताओं की दृष्टि में स्कूलिंग और बाल श्रम एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, और शिक्षा-संबंधी नीतियाँ/कार्यक्रम बाल श्रम के रास्तों को बदल सकते हैं। [12], [13] व्यापक स्तर पर शिक्षा-रणनीतियों की भूमिका पर साहित्य समीक्षा यह निष्कर्ष देती है कि स्कूल तक पहुँच, गुणवत्ता, उपस्थिति-अनुवर्तन और सीखने के परिणाम, ये बाल श्रम घटाने की मुख्य नीतिगत कड़ियाँ हैं। [14]

4. सैद्धांतिक ढाँचा

इस अध्ययन का सैद्धांतिक आधार तीन परस्पर जुड़ी अवधारणाओं पर टिका है। पहली, "परिवार-रणनीति" का दृष्टिकोण: पलायन को परिवार की सामूहिक रणनीति के रूप में देखा जाता है, जहाँ कौन जाएगा, कब जाएगा, बच्चों को साथ रखा जाएगा या नहीं, और रेमिटेंस का उपयोग किसमें होगा, ये निर्णय सामाजिक संबंधों, ऋण, प्रतिष्ठा और सुरक्षा-चिंताओं से संचालित होते हैं। [9], [3]

दूसरी, "जोखिम-प्रबंधन" का दृष्टिकोण: अस्थिर आय, मौसमी बेरोजगारी, बीमारी, और ऋण-चक्र के सामने परिवार वैकल्पिक सुरक्षा-जाल बनाता है। यदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ समय पर नहीं मिलता, या गंतव्य-स्थल पर खर्च बढ़ जाता है, तो बच्चों का काम "तात्कालिक सुरक्षा-जाल" बन सकता है।

तीसरी, "सामाजिक बहिष्करण": दलित परिवारों में संस्थागत पहुँच, गरिमामय सेवाएँ और श्रम-बाजार विकल्प सीमित हो सकते हैं, जिससे शिक्षा में टिके रहना और कल्याण लाभों का सतत उपयोग कठिन हो जाता है। यह बहिष्करण पलायन-निर्णय और बच्चों की भूमिका दोनों को आकार देता है। [4], [12]

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

5. पद्धति और डेटा

यह शोध-पत्र प्राथमिक फील्ड-सर्वे का दावा नहीं करता। यह द्वितीयक स्रोतों पर आधारित विश्लेषण है जिसमें (i) आधिकारिक दस्तावेज़ और कार्यक्रम-दिशानिर्देश, (ii) शोध-लेख/नीति-रिपोर्टें, और (iii) बाल श्रम तथा पलायन संबंधी मानक संकेतक सामग्री शामिल है। बाल श्रम के जिला-स्तरीय संकेत के लिए बिहार राज्य बाल-अधिकार कार्ययोजना का उपयोग किया गया है। [7] पलायन-संबंधी संदर्भ हेतु ग्रामीण बिहार पर चक्राकार पलायन के शोध और बिहार में पलायन-रेमिटेंस अध्ययन उपयोग किए गए हैं। [3], [9], [10] बाल श्रम-स्कूलिंग संबंध के लिए बिहार-केंद्रित गुणात्मक अध्ययन और शिक्षा-रणनीति संबंधी साहित्य समीक्षा को आधार बनाया गया है। [12], [14] गैर-सरकारी/संस्थागत हस्तक्षेप समझने के लिए राष्ट्रीय मंच/दिशानिर्देश तथा राज्य-स्तरीय ट्रैकिंग तंत्र के दस्तावेज़ों का उपयोग किया गया है। [15]–[18]

6. निष्कर्ष-I: मधुबनी में बाल श्रम-जोखिम के संकेत और प्रवासन-जोड़

सारणी 1: 5–14 आयु-वर्ग के बाल-श्रमियों की संख्या (राज्य बनाम मधुबनी)

इकाई	5–14 आयु-वर्ग के बाल-श्रमियों की संख्या	राज्य कुल में हिस्सा (प्रतिशत)
बिहार	1288321	10.99
मधुबनी	61523	4.78

(स्रोत: बिहार राज्य बाल-अधिकार कार्ययोजना, जनगणना 2011 आधारित सारणी) [7]

यह संकेत बताता है कि मधुबनी में बाल श्रम एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिघटना है। पर मौसमी पलायन के संदर्भ में इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि “बच्चे काम करते हैं”, बल्कि यह कि पलायन-चक्र परिवार की श्रम-वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करता है। जब वयस्क सदस्य बाहर जाते हैं, तब स्रोत-गाँव में घरेलू/देखभाल-कार्य का भार बच्चों पर बढ़ सकता है; और जब परिवार या बच्चे गंतव्य पर जाते हैं, तब बच्चों की असंगठित श्रम में भागीदारी का जोखिम बढ़ता है। [3]

7. निष्कर्ष-II: परिवार रणनीतियाँ, क्यों और कैसे बच्चे श्रम-चक्र में आते हैं

मधुबनी के ग्रामीण स्रोत क्षेत्रों में परिवार रणनीतियाँ अक्सर “मौसम-कैलेंडर” के अनुसार बनती हैं। कृषि-मंद मौसम में नकद आय का अभाव बढ़ता है, और इसी समय पलायन अधिक होता है। [9] परिवार के भीतर निर्णय यह भी होता है कि कौन सदस्य जाएगा और कौन घर पर रहेगा। दलित परिवारों में, जहाँ स्थानीय रोजगार विकल्प सीमित होते हैं, पलायन एक अपेक्षाकृत “विश्वसनीय” विकल्प बनता है, भले ही वह असुरक्षित हो। [3], [4]

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

बच्चों के संदर्भ में रणनीति तीन रूप लेती है। पहला, "घर-स्थिरता रणनीति": यदि वयस्क सदस्य बाहर जाता है, तो बच्चा घर में श्रम-समर्थन देता है, पानी-ईंधन, पशु-देखभाल, छोटे भाई-बहनों की देखरेख, और कभी-कभी खेत-सहायता। जब यह श्रम-समय बढ़ता है, तो स्कूल-उपस्थिति और सीखने पर प्रभाव पड़ता है। घरेलू कार्य-सेवा के लिए समय-सीमा आधारित संकेतक इसे जोखिम-पहचान योग्य बनाते हैं। [6]

दूसरा, "साथ-ले-जाने की रणनीति": जब परिवार अस्थायी रूप से गंतव्य पर जाता है या बच्चे को साथ ले जाता है, तो स्कूल-विच्छेद का खतरा बढ़ जाता है और बच्चे छोटे-मोटे कामों में शामिल हो सकते हैं। बिहार-केंद्रित अध्ययन बताता है कि बच्चों की स्कूलिंग और काम के बीच संबंध परिवारों की परिस्थितियों और धारणा-आधारित "ड्राइवरों" से जुड़ा रहता है। [12], [13]

तीसरा, "रेमिटेंस-निवेश रणनीति": कुछ परिवार रेमिटेंस का उपयोग बच्चों की शिक्षा/स्वास्थ्य में करने की कोशिश करते हैं, पर ऋण-चुकौती, भोजन, और आपात खर्च प्राथमिक हो जाते हैं। बिहार पर रेमिटेंस-अध्ययन बताते हैं कि रेमिटेंस का उपयोग अक्सर उपभोग-सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऋण-भुगतान में होता है, पर यह उपयोग परिवार की जरूरतों के दबाव से तय होता है। [9], [10]

8. गैर सरकारी हस्तक्षेप

मधुबनी जैसे स्रोत जिलों में गैर-सरकारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे "सिर्फ बचाव" करते हैं या "चक्र तोड़ने वाला" अनुवर्तन-तंत्र बनाते हैं। प्रभावी हस्तक्षेप सामान्यतः पाँच कड़ियों में काम करते हैं।

पहली कड़ी पहचान की है। घरेलू/कृषि-सहायक श्रम अक्सर अदृश्य रहता है, इसलिए समय-उपयोग आधारित स्क्रीनिंग, स्कूल-अनुपस्थिति के कारणों की संवेदनशील जाँच, और समुदाय-स्तर पर भरोसेमंद सूचना-नेटवर्क आवश्यक होते हैं। [6], [14]

दूसरी कड़ी शिकायत-समर्थन और समन्वय की है। राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम के लिए शिकायत और प्रवर्तन का मंच तथा जिला-स्तरीय समन्वय तंत्र मौजूद हैं; गैर-सरकारी संस्थाएँ इन तक पहुँच बनाने में "सेतु" का काम कर सकती हैं। [15]

तीसरी कड़ी बचाव-समन्वय और ट्रैकिंग की है। बिहार में बाल श्रम ट्रैकिंग के लिए राज्य-स्तरीय प्रणाली के दस्तावेज़ और पोर्टल उपलब्ध हैं, जो यह संकेत देते हैं कि बहु-विभागीय समन्वय को संस्थागत रूप से मान्यता दी गई है। [16], [17] गैर-सरकारी संस्थाएँ इसी ट्रैकिंग ढांचे में केस-मैनेजमेंट, दस्तावेज़ीकरण और परिवार-समर्थन जोड़कर प्रभाव बढ़ा सकती हैं।

चौथी कड़ी पुनर्वास और शिक्षा-पुनर्स्थापन की है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के दिशानिर्देश पुनर्वास-मुख्यधारा-समर्थन की रूपरेखा देते हैं। [18] व्यवहार में, यदि बच्चा स्कूल में लौट भी जाए पर परिवार की मौसमी नकद-समस्या बनी रहे, तो पुनः-बाल श्रम का जोखिम रहता है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

पाँचवीं कड़ी सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग की है। खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी जैसे उपाय पलायन-परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर जमीनी स्तर पर दस्तावेज़-लिंकिंग और डीलर-स्तर समस्याएँ बाधा बन सकती हैं। [19], [20] गैर-सरकारी हस्तक्षेप यदि पलायन-परिवारों को राशन-पोर्टेबिलिटी, मजदूरी-संबंधी अधिकारों और स्थानीय सहायता सेवाओं से जोड़ता है, तो बाल श्रम के आर्थिक दबाव को घटाने की संभावना बढ़ती है।

9. नीतिगत कड़ियाँ: सार्वजनिक कार्यक्रम और पलायन-जोखिम को साथ जोड़ना

मधुबनी के संदर्भ में तीन सार्वजनिक-नीति कड़ियाँ विशेष महत्व रखती हैं। पहली, स्थानीय रोजगार-उपलब्धता। शोध-आधारित साक्ष्य बताता है कि रोजगार-गारंटी कार्यक्रमों से अल्पकालिक पलायन में कमी आ सकती है; एक अध्ययन में अल्पकालिक पलायन में लगभग 10 प्रतिशत कमी का संकेत दिया गया है। [21] यह निष्कर्ष यह नहीं कहता कि पलायन समाप्त हो जाएगा, पर यह बताता है कि "मंद-मौसम सुरक्षा-जाल" मजबूत करने से बच्चों पर श्रम-दबाव घट सकता है।

दूसरी, खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी। "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" जैसा ढांचा पलायन-परिवारों के लिए भोजन-सुरक्षा को स्थिर कर सकता है, जिससे बच्चों के काम पर जाने का दबाव घटने की संभावना बनती है। [19], [20]

तीसरी, शिक्षा-अनुवर्तन और सीखने-समर्थन। बिहार-केंद्रित अध्ययन और शिक्षा-रणनीति समीक्षा दोनों बताते हैं कि स्कूल-उपस्थिति, सीखने के परिणाम और अनुवर्तन-तंत्र बाल श्रम-रास्तों को बदलने में निर्णायक हैं। [12], [14] मधुबनी जैसे जिलों में यह विशेषकर आवश्यक है, क्योंकि मौसमी पलायन स्कूल-कैलेंडर को बाधित करता है।

10. निष्कर्ष

मधुबनी के ग्रामीण स्रोत क्षेत्रों में मौसमी/चक्राकार पलायन परिवार की आजीविका-रणनीति का केंद्रीय तत्व है, पर इसका सामाजिक मूल्य बच्चों के जीवन-क्रम में चुकाया जाता है, विशेषकर दलित परिवारों में, जहाँ संसाधन-घाटा और बहिष्करण विकल्पों को सीमित कर देते हैं। जिला-स्तरीय संकेत मधुबनी में बाल श्रम-जोखिम की गंभीरता दिखाते हैं, और पलायन-चक्र इस जोखिम को घरेलू श्रम-भार, स्कूल-विच्छेद और गंतव्य-स्थल जोखिम के माध्यम से बढ़ा सकता है। परिवार रणनीतियाँ, घर-स्थिरता, साथ-ले-जाना, और रेमिटेंस-निवेश, बच्चों की भूमिका को पुनर्संयोजित करती हैं, और यही पुनर्संयोजन कभी-कभी बाल श्रम को "तर्कसंगत" बना देता है।

गैर-सरकारी हस्तक्षेप तभी प्रभावी होते हैं जब वे पहचान-से-पुनर्वास तक पूरी श्रृंखला में काम करें और विशेषकर पलायन-परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग तथा स्कूल-अनुवर्तन को मजबूत करें। राज्य-स्तरीय ट्रैकिंग प्रणाली और राष्ट्रीय मंचों की मौजूदगी यह अवसर देती है कि गैर-सरकारी संस्थाएँ केस-मैनेजमेंट को अधिक भरोसेमंद बनाएं। नीति-स्तर पर स्थानीय रोजगार-सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा-पोर्टेबिलिटी और

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

शिक्षा-अनुवर्तन को एक साथ जोड़ना आवश्यक है ताकि पलायन-आधारित आजीविका और बच्चों के अधिकारों के बीच संघर्ष कम किया जा सके। अंततः, मधुबनी में दलित बाल श्रम को घटाने का रास्ता "एक-बारगी बचाव" नहीं, बल्कि पलायन-चक्र के साथ चलने वाली, परिवार-रणनीति को समझने वाली, और सामाजिक सुरक्षा-आधारित दीर्घकालिक अनुवर्तन व्यवस्था से होकर जाता है।

सारणी 2: वैश्विक बाल श्रम, 2020 और 2024 की तुलना

वर्ष (संदर्भ-अवधि)	**बाल श्रम में बच्चे (मिलियन)**	**खतरनाक कार्य में बच्चे (मिलियन)**
2020 (शुरुआत)	160	–
2024	138	54

(स्रोत: संयुक्त वैश्विक आकलन रिपोर्टें) [1], [22]

संदर्भ:

1. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, "बाल श्रम: वैश्विक आकलन 2024, प्रवृत्तियाँ और आगे का मार्ग," संयुक्त रिपोर्ट, 2025, पृ. 52–62.
2. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, "2024 के वैश्विक बाल श्रम आकलन पर प्रेस-विज्ञप्ति," 2025.
3. ए. दत्ता, "ग्रामीण बिहार से चक्राकार पलायन और असुरक्षा: दृष्टिकोण," शोध-लेख, 2020, पृ. 1143–1163.
4. एस. एस. जोधका, "मधुबनी, बिहार की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था: सामाजिक गतिशीलताएँ और बहिष्करण," शोध-आलेख, 2017, पृ. 14–24.
5. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, "घरेलू कामकाज में बाल श्रम," आधिकारिक वेब-सामग्री.
6. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (आँकड़ा मंच), "बाल श्रम: सूचक-ढाँचा और घरेलू कार्य-सेवा की समय-सीमा".
7. बिहार सरकार, "बिहार राज्य बाल-अधिकार कार्ययोजना," सरकारी दस्तावेज़ (पीडीएफ), 2017, पृ. 111–136.
8. भारत सरकार (जनगणना), "बिहार: प्रवासी—अंतिम निवास-स्थान, निवास-अवधि और कारण के अनुसार", 2011.
9. पी. देशिंगकर आदि, "बिहार में पलायन और रेमिटेंस की भूमिका," नीति-रिपोर्ट (पीडीएफ), 2006, पृ. 21–47.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

10. ए. दत्ता, "ग्रामीण बिहार में पलायन, रेमिटेंस और आय-स्रोतों में परिवर्तन," शोध-आलेख (दीर्घकालिक अध्ययन), 2016.
11. आर. पी. रोशनिया आदि, "ग्रामीण बिहार में पलायन-प्रकार और बाल विकास," शोध-लेख, 2025.
12. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष—इनोसेंटी, "बिहार में बाल श्रम और स्कूली शिक्षा में परिवर्तन के कारण," रिपोर्ट, 2025, पृ. 121–135.
13. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष—इनोसेंटी, "बिहार अध्ययन का शोध-संक्षेप," 2025, पृ. 11–30.
14. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष—इनोसेंटी, "भारत में बाल श्रम घटाने में शिक्षा-रणनीतियाँ: साहित्य समीक्षा," चर्चा-पत्र, 2024, पृ. 41–59.
15. भारत सरकार, "बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रवर्तन मंच," आधिकारिक पोर्टल.
16. बिहार सरकार/पोर्टल, "बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली," आधिकारिक पोर्टल पृष्ठ.
17. बिहार (दस्तावेज़), "बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली: प्रस्तुति/मुख्य विशेषताएँ", 2017, पृ. 1–31.
18. भारत सरकार, "राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना: संशोधित दिशानिर्देश," 2016, पृ. 35–62.
19. एशियाई विकास बैंक, "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड: संक्षिप्त अध्ययन," 2023/2024.
20. ग्रामीण भारत ऑनलाइन, "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड—पोर्टेबिलिटी चुनौतियाँ."
21. विचार-मंच (नीति-लेख), "रोजगार-गारंटी और अल्पकालिक पलायन पर प्रभाव".
22. संयुक्त वैश्विक आकलन, "बाल श्रम: वैश्विक आकलन 2020," रिपोर्ट, 2021, पृ. 62–88.

© Copyright @ Authors